



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2016/कार्तिक 25, 1938

No. 11]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016/KARTIKA 25, 1938

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2016

का.नि.आ. 12(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 17 नवंबर, 2016 से सशस्त्र बल अधिकरण, श्रीनगर (अस्थायी रूप से जम्मू में अवस्थित की जानी हैं) की न्याय पीठ को अधिसूचित करती है, जिसकी अधिकारिता जम्मू और कश्मीर राज्य की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होगी।

[फा. सं. 5(5)/2010-डी (एएफटीसी)]

वी. आनंदराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2016

S.R.O. 12(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 5 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal, Srinagar (temporarily to be located in Jammu) with effect from the 17<sup>th</sup> day of November, 2016, which shall have jurisdiction within the territorial limits of the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 5(5)/2010-D (AFTC)]

V. ANANDARAJAN, Jt. Secy.